झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/कार्य/192/2014............................../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई० सुनील कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन गोड्डा जिलान्तर्गत बसंतराय प्रखण्ड के डेमरा ग्राम में मैनेजर बॉध योजना के जीर्णोद्वार कार्य हेतु रू० 253.90 लाख (रूपये दो करोड़ तीरपन लाख नब्बे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2 जल संसाधन विभाग के अधीन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई दुमका प्रक्षेत्राधीन गोड्डा जिलान्तर्गत बसंतराय प्रखण्ड के डेमरा ग्राम में मैनेजर बॉध योजना के जीर्णोद्वार कार्य हेतु रू० 253.90 लाख (रूपये दो करोड़ तीरपन लाख नब्बे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 इस योजना में बॉध का जीर्णोद्धार कार्य एवं Protection wall इत्यादि का निर्माण किया जाना है।

4 योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है–

(i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जायगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री० लेवल माप पुस्त में अंकित किया जायगा एवं इसकी शत प्रतिशत जांच सहायक अभियंता के द्वारा तथा पचास प्रतिशत जांच कार्यपालक अभियंता द्वारा करना सुनिश्चित किया जायगा।

(iii) योजना के पुनर्स्थापन कार्य के उपरान्त योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व लाभुक समिति / जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख–रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति /जल उपभोक्ता समिति से प्राप्त नहीं होगा तो उस स्थिति में स्थल पर योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य के कियान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र का आकलन तथा प्राक्कलन में मद एवं मात्रा की जॉच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) कार्य के क्रियान्वयन के पूर्व प्राक्कलन में प्रावधानित संरचनाओं की रूपांकण की जॉच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) इस योजना के कार्यान्वयन् के पूर्व मुख्य अभिंयता, लघु सिचाई दुमका द्वारा उपरोक्त कंडिका 4 (i), (ii), (iii), (iv) & (v) का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5 इस योजना के पुनर्स्थापन कार्य से कुल 320 हे० (खरीफ 248 हे० एवं रब्बी 72 हे०) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पुनर्जिवित होगी। वर्त्तमान में इस योजना से कुल 52 हे० खरीफ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। योजना का Incidence of Cost रू० 79343.00 प्रति हेक्टेयर आकलित है।

6 इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ कर वित्तीय वर्ष 2015–16 तक पूर्ण किया जाना है।

7 इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय बजट "शीर्ष 4702–लघु सिंचाइ पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल–20– पुरानी लघु सिंचाई योजना का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य 05–43" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

8 इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

9 प्रस्तावित कार्यो के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10 इस कार्य के राशि की निकासी गोड्डा कोषागार से किया जाएगा।

11 झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

12 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

13 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

14 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/कार्य/192/2014............................/राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/कार्य/192/2014............................/राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/कार्य/192/2014............................/राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/कार्य/192/2014............................/राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः आयुक्त संथाल परगना, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/कार्य/192/2014............................/राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांकः 3/पी०एम०सी/कार्य/192/20142014-15 प्र०स्था०**............................/राँची, दिनांक** 28.07.2014
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

3_192_14